हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक, 2 सितम्बर, 2024

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1-86/2024.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 25) जो आज दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

––––––––––

2024 का विधेयक संख्याक 25

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम ।
2. धारा 2 का संशोधन ।
3. धारा 12 का संशोधन ।
4. धारा 19 का संशोधन ।
5 धारा 24 का संशोधन ।
6. धारा 55–क का अन्तःस्थापन ।

––––––––––

2024 का विधेयक संख्याक 25

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम.––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 2 का संशोधन.––हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (प) में "बनाए गए" शब्दों के पश्चात् "नियमों," शब्द और चिन्ह अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

3. धारा 12 का संशोधन.––मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(1) कुलाधिपति, सरकार के परामर्श पर विश्वविद्यालय के लिए प्रबन्ध बोर्ड का गठन करेगा और बोर्ड इस निमित्त निम्नलिखित से गठित होगाः–

(अ) चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय

पदेन सदस्यः–

(i) सरकार का मुख्य सचिव;

(ii) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो निर्वाचित सदस्य जो माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(iii) कुलपति

(iv) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, सोलन का कुलपति;

(v) सरकार का सचिव (कृषि);

(vi) सरकार का सचिव (पशुपालन);

(vii) सरकार का सचिव (वित्त);

(viii) सरकार के कृषि, उद्यान, पशुपालन और मत्स्य विभागों के विभागाध्यक्ष;

अन्य सदस्यः–

(ix) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों या निदेशकों में से एक अधिकारी जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(x) दो प्रमुख वैज्ञानिक, एक कृषि और दूसरा पशु–विज्ञान में, जिनकी अनुसंधान और शिक्षा की पृष्ठभूमि हो, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(xi) दो उन्नत कृषक, किसान या पशुपालक जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(xii) राज्य के जनजातीय क्षेत्र का एक उन्नत कृषक या पशुपालक जो सरकार द्वारा नामर्निदिष्ट किया जाएगा;

(xiii) एक उत्कृष्ट महिला समाज सेविका, अधिमानतः जिसकी ग्रामीण उन्नति की पृष्ठभूमि हो, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(xiv) एक विख्यात उद्योगपति या निर्माता, जिसको कृषि विकास का विशेष ज्ञान हो, सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(xv) एक प्रख्यात इन्जीनियर जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(xvi) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से एक प्रतिनिधि; और

(xvii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून का एक प्रतिनिधि।

(आ) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, सोलन

पदेन सदस्यः—

(i) सरकार का मुख्य सचिव;

(ii) हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो निर्वाचित सदस्य जो माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(iii) कुलपति

(iv) चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति;

(v) सरकार का सचिव (उद्यान);

(vi) सरकार का सचिव (वित्त);

(vii) सरकार का सचिव (वन);

(viii) सरकार के कृषि, उद्यान, पशुपालन और मत्स्य विभागों के विभागाध्यक्ष;

अन्य सदस्यः—

(ix) विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्षों या निदेशकों में से एक अधिकारी जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(x) दो प्रमुख वैज्ञानिक, एक औद्यानिकी में और दूसरा वानिकी में जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(xi) दो उन्नत फलोद्यानी या कृषक, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे;

(xii) राज्य के जनजातीय क्षेत्र का एक उन्नत फलोद्यानी या कृषक जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(xiii) एक उत्कृष्ट महिला समाज सेविका, अधिमानतः जिसकी ग्रामीण उन्नति की पृष्ठभूमि हो, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(xiv) एक विख्यात इन्जीनियर, जो सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(xv) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि; और

(xvi) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् देहरादून का एक प्रतिनिधि।''।

4. **धारा 19 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

''(1) चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय और डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री, सोलन के विश्वविद्यालयों के लिए निम्नलिखित से गठित एक वित्त समिति होगीः–

(i) वित्त सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार जो समिति का पदेन अध्यक्ष भी होगा;
(ii) कुलपति, जो समिति का पदेन उपाध्यक्ष होगा;
(iii) सरकार का सचिव (कृषि);
(iv) सरकार का सचिव (उद्यान);
(v) रजिस्ट्रार;
(vi) स्थानीय लेखा परीक्षा का परीक्षक;
(vii) डाक्टर यशवन्त सिंह परमार यूनिवर्सिटी आफ हार्टिकल्चर एण्ड फारेस्ट्री सोलन के सम्बन्ध में उद्यान और वन के सरकारी विभाग के विभागाध्यक्ष और चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में, कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभागों के विभागाध्यक्ष; और
(viii) अपने गैर–सरकारी सदस्यों में से बोर्ड द्वारा चुना गया एक सदस्य।''।

5. **धारा 24 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 24 में,–

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जिसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, सरकार द्वारा गठित चयन समिति की सहायता और सलाह पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगेः––

(i) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) या उसका नामनिर्देशिती जो उपमहानिदेशक (डी.डी.जी.) या कुलपति की पंक्ति से नीचे का न हो;

(ii) सरकार का एक नामनिर्देशिती जो कुलपति या उसके समकक्ष की पंक्ति से नीचे का न हो; और

(iii) कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती जो कुलपति या उसके समकक्ष की पंक्ति से नीचे का न होः

परन्तु इन सदस्यों में से किसी एक को कुलाधिपति द्वारा संयोजक के रूप में कार्य करने हेतु नामनिर्देशिती किया जाएगा।

(ख) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा; और

(ग) उपधारा (5) में; ''कुलाधिपति'' शब्द के पश्चात् ''प्रबन्ध बोर्ड की सलाह पर'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

6. **धारा 55–क का अन्तःस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 55 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"55–क. नियम बनाने की शक्ति.–(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल दस दिन की अवधि से अन्यून सत्र में हों, के लिए रखा जाएगा। जो अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान के पूर्व जिसमें यह इस तरह रखा गया था या शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या बातिलकरण होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा।"।

उद्देष्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश कृषि,औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 को अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों में कृषि, औद्यानिकी और वानिकी के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और शिक्षा विस्तार के एक समान मानकों को प्रवर्तित करने हेतु समुचित उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था, तथापि समय बीतने के दौरान यह पाया गया कि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति में लोकतांत्रिक रुप से निर्वाचित सरकार की इस विषय में ऐसे विश्वविद्यालयों को अनुदान के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के बावजूद मुश्किल कोई भूमिका है।

भारत सरकार, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के संरक्षणाधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) ने हाल ही में वर्ष 2023 में मॉडल अधिनियम में संशोधन किया है और उसे समस्त राज्यों को अपनाने हेतु और राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों में इसे लागू करने हेतु परिसंचलित किया है। इस प्रकार परिसंचलित मॉडल अधिनियम अन्य बातों के साथ संबंधित सरकारों को उनके अपने–अपने अधिनियमों में संशोधन करके विसंगतियां दूर करने के लिए सशक्त करता है ताकि उन्हें आई. सी. ए. आर. मॉडल अधिनियम के उपबंधों के अनुरुप लाया जा सके। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रस्तावित विधेयक पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 2, 12, 19 और 24 में संशोधन लाने के लिए है। इसलिए, नई धारा 55–क का अन्तःस्थापित की जा रही है जो राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों की पूर्ति हेतु नियम बनाने हेतु सशक्त करेगी।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(चन्द्र कुमार)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख : .....2024.

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 6, राज्य सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन अनिवार्य और सामान्य स्वरूप का है।

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय (संषोधन) विधेयक, 2024

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश कृषि, औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 (1987 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(चन्द्र कुमार)
प्रभारी मन्त्री।

(षरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : .....2024.

———————

AUTHRITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 25 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2024

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 12.
4. Amendment of section 19.
5. Amendment of section 24.
6. Insertion of section 55-A.

———————

Bill No. 25 of 2024

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2024

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.—This Act may be called the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry (Amendment) Act, 2024.

2. Ammendment of section 1.— In section 2 of the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (u), after the words "prescribed by", the words and sign "the Rules," shall be inserted.

3. Ammendment of section 2.—In section 12 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) The Chancellor shall constitute a Board of Management for the University on the advice of the Government and the Board shall consist of the following in respect of:—

(A) CHAUDHARY SARWAN KUMAR HIMACHAL PRADESH KRISHI VISHVAVIDYALAYA:

Ex-officio Members:—

(i) Chief Secretary to the Government;

(ii) two elected members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly as nominated by the Hon'ble Chief Minister;

(iii) Vice-Chancellor;

(iv) Vice-Chancellor, Dr. Yaswant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan;

(v) Secretary (Agriculture) to the Government;

(vi) Secretary (Animal Husbandry) to the Government;

(vii) Secretary (Finance) to the Government;

(viii) Heads of Government Departments of Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Fisheries;

Other Members:-

(ix) one officer to be nominated by the Government from amongst Deans / Directors of the University;

(x) two eminent scientists with a background of research and education, one in agriculture and the other in animal science to be nominated by the Government;

(xi) two progressive agriculturists, farmers or animal breeders to be nominated by the Government;

(xii) one progressive agriculturists or animal breeders from the tribal areas of the State to be nominated by the Government;

(xiii) one outstanding woman social worker preferably having background of rural advancement, to be nominated by the Government;

(xiv) one distinguished industrialist or manufacturer having special knowledge in agricultural development to be nominated by the Government;

(xv) one distinguished engineer to be nominated by the Government;

(xvi) one representative of the Indian Council for Agricultural Research; and

(xvii) one representative of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun.

(B) DR. YASHWANT SINGH PARMAR UNIVERSITY OF HORTICULTURE AND FORESTRY, SOLAN

Ex-officio Members:

(i) Chief Secretary to the Government;

(ii) Two elected members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly as nominated by the Hon'ble Chief Minister;

(iii) Vice-Chancellor;

(iv) Vice-Chancellor, Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya;

(v) Secretary (Horticulture) to the Government;

(vi) Secretary (Finance) to the Government;

(vi) Secretary (Forest) to the Government;

(viii) Heads of Government Departments of Agriculture, Horticulture, Forest and Agriculture;

Other Members:-

(ix) one officer to be nominated by the Government from amongst Deans/Directors of the University;

(x) two eminent scientists one in horticulture and the other in forestry to be nominated by the Government;

(xi) two progressive orchardists or farmers to be nominated by the Government;

(xii) one progressive orchardist or farmer from the tribal areas of the State to be nominated by the Government;

(xiii) one outstanding woman social worker preferably having background of rural advancement, to be nominated by the Government;

(xiv) one distinguished engineer to be nominated by the Government;

(xv) one representative of the Indian Council for Agricultural Research; and

(xvi) one representative of the Indian Council of Forestry Research and Education, Dehradun.".

4. Ammendment of section 19.—In section 19 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) There shall be a Finance Committee for the Universities of Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya and Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan, consisting of-

(i) Finance Secretary to the Government of Himachal Pradesh, who shall also be the ex-officio Chairman of the Committee;

(ii) Vice-Chancellor, who shall also be the ex-officio Vice-Chairman of the Committee;

(iii) Secretary (Agriculture) to the Government;

(iv) Secretary (Horticulture) to the Government;

(v) Registrar;
(vi) Examiner, Local Audit Department;

(vii) Heads of Government Departments of Horticulture and Forests in case of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry, Solan and of Agriculture, Animal Husbandry and Fisheries in case of the Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya; and

(viii) One member chosen by the Board from amongst its non-official member.".

5. Ammendment of section 71.—In section 24 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following shall be substituted , namely:—

"(1) The Vice-Chancellor shall be a whole time officer of the University, who shall be appointed by the Chancellor on the aid and advice of the Selection Committee constituted by the Government, consisting of —

(i) Director General, Indian Council of Agricultural Research (ICAR) or his nominee not below the rank of Deputy Director General (DDG) or Vice-Chancellor;

(ii) one nominee of the Government not below the rank of Vice-Chancellor or equivalent; and

(iii) one nominee of the Chancellor not below the rank of Vice-Chancellor or equivalent:

Provided that one of these Members shall be nominated by the Chancellor to act as Convener.";

(b) sub-section (2), shall be omitted; and

(c) in sub-section (5), after the word "the Chancellor", the words and sign "on the advice of the Board of Management," shall be inserted.

6. Insertion of section 55-A.—After section 55 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"55-A. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act, shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.".

———————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 was enacted to make suitable provisions for enforcing uniform standards of teaching, research and extension education in the fields of agriculture, horticulture and forestry in the Universities established under the Act. With the passage of time, it was, however, noticed that there was hardly any role for the democratically elected Government to have a say in the appointment of Vice-Chancellor in the Universities despite financial assistance in the form of Grant in Aid having been extended to such Universities.

The Indian Council of Agriculture Research (ICAR) under the aegis of Department of Agriculture Research and Education, Government of India has recently revised the Model Act in the year, 2023 and circulated the same to all the States for its adoption and implementation in the State Agricultural Universities. The Model Act so circulated, *interalia*, authorises Government concerned to remove anomalies by carrying out amendments in their respective Acts so as to make them compatible with provisions of the ICAR Model Act. It is with the aforesaid objectives that the proposed Bill seeks to carry out amendments in sections 2, 12, 19 and 24 of the Act *ibid.* Further,

new section 55-A is being inserted which shall empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of the Act.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(CHANDER KUMAR)
Minister-in-Charge.

SHIMLA:
THE.....2024.

FINANCIAL MEMORANDUM

—NIL—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 6 of the Bill seeks to empower the State Government to make rules for carrying out the purposes of this Act. The proposed delegation of power is essential and normal in character.

THE HIMACHAL PRADESH UNIVERSITIES OF AGRICULTURE, HORTICULTURE AND FORESTRY (AMENDMENT) BILL, 2024

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Universities of Agriculture, Horticulture and Forestry Act, 1986 (Act No. 4 of 1987).

(CHANDER KUMAR)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:

THE........................., 2024.

———————————